कार्यालयादेश

विदित है कि भारत सरकार द्वारा आर्थिक रूप से पिछडे स्वर्णो को अलग से 10 प्रतिशत आरक्षण की अलग से व्यवस्था की गयी है। यही व्यवस्था समस्त महाविद्यायों/सस्थानों में भी लागू की जानी है। इसी परिपेक्ष में विश्वविद्यालय द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सभी महाविद्यालयों एवं संस्थानों में पाठ्यक्रमवार 5 प्रतिशत की वृद्धि की जाये ताकि सभी उक्त सभी छात्र/छात्राओं को भी सहजता से प्रवेश मिल सके।

उक्त के कम में एतदद्वारा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय एवं संस्थानों को आदेशित किया जाता है कि वे अपने महाविद्यालयों एवं संस्थानों में विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2017–18 हेतु पाठ्यक्रमवार आवंटित कुल सीटों में 5 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि कर सत्र 2019–20 हेतु छात्र/छात्रों को अपने महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश देगें। ताकि आर्थिक रूप से पिछडे स्वर्णों के छात्र/छात्राओं को भारत सरकार द्वारा दिये गये आरक्षण का लाभ मिल सके।

यह भी आदेशित किया जाता है कि पाठ्यक्रमवार वर्तमान एवं 5 प्रतिशत वृद्धि के पश्चात् प्रत्येक पाठयक्रमवार बडी हुई सीटों की संख्या एक सप्ताह के अन्तर्गत विश्वविद्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से
कुलपति

हेमवती नन्दन बहुगुण गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल

पत्रांकः हे0न0ब0ग0वि0वि0 / आर.ओ. / 2019 / 568 — 05 **अगस्त, 2019**

प्रतिलिपिः

1. निदेशक/प्राचार्य समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों एवं संस्थानों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. वित्त अधिकारी मोदय को सूचनार्थ प्रेषित
3. परीक्षा नियंत्रक महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
4. संयुक्त कुलसचिव/सभी उप कुलसचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
5. अनुभागीय अधिकारी, प्रभारी/व्यावसायिक परीक्षा को इस आशय से प्रेषित कि महाविद्यालय/संस्थानों से पाठ्यक्रमवार सिर्फ 5 प्रतिशत वृद्धि के साथ आने परीक्षा आवेदन–पत्रों को स्वीकार किये जायें।
6. समन्वयक, डाटा प्रोसेसिंग केन्द्र/कोर्डिनेटर ईग्वर्नेस को इस आशय से प्रेषित कि ऑनलाईन परीक्षा आवेदन–पत्र आमंत्रित करते समय उक्तानुसार सभी महाविद्यालयों/संस्थानों को आवंटित सीटों में 5 प्रतिशत की वृद्धि करने के पश्चात् ही छात्र/छात्राओं हेतु ऑनलाईन परीक्षा आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाये।
7. सिस्टम मैनेजर को इस आशय से प्रेषित कि इस कार्यालय आदेश को विश्वविद्यालय की मुख्य वेबसाइट www.hnbgu.ac.in पर प्रसारित करें।
8. निजी सचिव कुलसचिव–गार्डफाइल में संकलनार्थ हेतु प्रेषित।
9. वैयक्तिक सहायक, कुलपति कार्यालय – माननीय कुलपति महोदया जी के सादर सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव